

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)


क.:एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ.-बानसूर/अनु.कार्य./2015/151 जयपुर,दिनांक: 28-01-2020

:: आदेश ::

श्री रामसिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति बानसूर (अलवर) को विभागीय आदेश क्रमांक 5153 दिनांक 30.12.2015 द्वारा निलम्बित किया गया। जिन्हें विभागीय आदेश क्रमांक 2806 दिनांक 22.06.2018 द्वारा जांच विचाराधीन रखते हुए निलम्बन से बहाल किया गया गया। प्रकरण में विभागीय ज्ञापन क्रमांक 2805 दिनांक 22.06.2018 द्वारा श्री रामसिंह का 16 सीसीए में स्पष्टीकरण चाहा गया। जिसे विभागीय आदेश क्रमांक 4722 दिनांक 07.01.2020 द्वारा समाप्त किया गया।


अतः श्री रामसिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति बानसूर (अलवर) की निलम्बन अवधि को सर्वप्रयोजनार्थ गिना जाकर, निलम्बन अवधि के बकाया वेतन (भुगतान किये गये निर्वाह भत्ते की राशि को घटाते हुए) इत्यादि का भुगतान किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर।
3. अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बानसूर (अलवर)।
5. श्री रामसिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति बानसूर (अलवर)।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)